कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक–2376 /FP/UK/ROAD/39349/2019 :देहरादूनः दिनांकः 15 मार्च, 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– **जनपद चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–07 (पुराना एन0एच0–58) के किमी0 399.000 से किमी0 160.000 मौजूदा सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 40.8916 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु MORTH (NHIDECL) को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/39349/2019)**

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय,, देहरादून का पत्र सं0–08बी/यू0सी0पी0/06/76/2020/एफ0सी0/778, दिनांकः–29–07–2020

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर की पत्र संख्या–3266/12–1 दिनांक 04–03–2021 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित हैः–

1–शर्त सं0–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शर्त सं0 01 का अनुपालन किया जायेगा।

2–शर्त सं0–2 के अनुपालन में गैर वन भूमि पूर्व में ही एन0एच0एक्ट 1956 की धारा 3डी के अन्तर्गत अधिग्रहण के उदेद्श्य से भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की जा चुकी है।

3–(क) शर्त सं0–03 के अनुपालन में प्रमाण पत्र संलग्न है। शर्त मान्य है।

(कुंजाकोट प्रथम क0न0 7अ में 15.00 है0, के स्थान पर कुंजाकोट प्रथम कं0न0 4ब में 15.00 है0, में वृक्षारोपण किया जायेगा, का उपयुक्तता प्रमाण पत्र व स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।)

(पूर्व में त्रृटि के कारण नवाली चतुर्थ क0न0 1अ को 1बी, नवाली चतुर्थ क0न0 7 को नवाली क0न0 6अ व नवाली पंचम क0न0 02 को क0न0 1ब लिखा गया है। जिसे संशोधन कर संशोधित डिजिटल मानचित्र, क्षतिपूरक वृक्षारोपण की उपयुक्तता प्रमाण, प्राक्कलन एवं प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न की जा रही है।)

(ख) प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–1)**

4–शर्त सं0–4 के अनुपालनमें प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण व 10 वर्षो तक अनुरक्षण हेतु धनराशि रू0 2,76,49,088.00 ई–पोर्टल के माध्यम से जमा की जा चुकी है।

5–(i) शर्त सं0–05 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 2,68,65,781.00 उत्तराखण्ड कैम्पा में ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा की जा चुकी है। **(संलग्न–2)**

5–(ii) शपथ पत्र संलग्न है। **(संलग्न–3)**

6– शर्त सं0 06 का अनुपालन किया जायेगा तथा न्यूनतम वृक्ष, जो सड़क निर्माण के लिए आवश्यक हो, का ही पातन किया जायेगा।

7–शर्त सं0–07 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शर्त सं0 7 का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

8–शर्त सं0–08 के अनुपालन में चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्रों का पुनः स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें 15 है0 (VDF) पाया गया जिसके सापेक्ष कुंजाकोट प्रथम क0न0 4ब में 15.00 है0 क्षेत्र चयनित किया गया है। चयनित क्षेत्र की हरियाली घनत्व 0.40 से कम है, चयनित क्षेत्रो की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न की जा रही है।**(संलग्न 4)**

9–शर्त सं0–09 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि ग्राम कुहेड़ का ही नाम राजस्व

दस्तावेजों में रोंपा वर्णित है। ग्राम रोपा का नाम ग्राम स्तरीय बैठक की उपस्थिति पंजिका संलग्न है। **(संलग्न–5)**

10–शर्त सं0–10 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मलवा निस्तारण योजना की प्रति संलग्न की गयी है।**(संलग्न–6)**

11–शर्त सं0–11 के क्रम में एन0पी0वी0 का आंकलन प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित की जा रही है**(संलग्न–7)**। पोर्टल में उक्त प्रकरण में सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिसमें उक्त प्रपत्र को ऑनलाईन अपलोड इस स्तर से किया जाना संभव नही है।

12– शर्त सं0–12 के क्रम में यह अवगत कराना है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त प्रस्ताव किमी0 399.00 से किमी0 460.00 (61.00किमी0) के नाम से उल्लेख है, जबकि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किमी0 399.00 से किमी0 460.00 के चिन्हित स्थानों (प्रस्ताव मे लगे लैण्ड शैण्ड्यूल) के अनुसार कुल 23.562 किमी0 में ही सड़क का चौड़ीकरण व लैण्ड स्लाईड स्थानो का उपचार किया जायेगा। **(संलग्न–8)**

13–शर्त सं0–13 के अनुपालन में प्रस्तावित वन भूमि में आ रहे वृक्षो की भूमिवार, श्रेणीवार, व्यासवार व वैज्ञानिक नावार सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है**(संलग्न–9)**। पोर्टल में उक्त प्रकरण में सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिसमें उक्त प्रपत्र को ऑनलाईन अपलोड इस स्तर से किया जाना संभव नही है।

14–शर्त सं0 14 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 के अनुसार जमा की गयी धनराशि का प्राक्कलन संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

15–शर्त सं0–15 के क्रम में ऊखीमठ रेंज, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अन्तर्गत होने के कारण प्रभाग के निर्धारित दरो के अनुसार प्राक्कलन में CA Cost norms के अनुसार प्राक्कलन बनायी गयी है, जबकि 66.00 है0 में दर्शायी गयी CA cost norms बद्रीनाथ वन प्रभाग के निर्धारित दरो के अनुसार है, प्राक्कलन में जिस कारण भिन्नता आ रही है, वृक्षारोपण हेतु वर्तमान दरो से जमा की गयी धनराशि का प्राक्कलन संलग्न की जा रही है **(संलग्न–10)** ।

16–**शर्त सं0–16** क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित अवनत वन भूमि का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न की जा रही है। **(संलग्न–11)**

17–शर्त सं0–17 का अनुपालन किया जायेगा।

18–शर्त सं0 18 के अनुसार ही प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 की कुल धनराशि रू0 5,45,14,869.00 ई0 पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी है **(प्रति संलग्न–12)** ।

19–शर्त सं0–19 का अनुपालन किया जायेगा।

20–शर्त सं0–20 से शर्त सं0–35 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, वद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त सं0–20 से शर्त सं0–35 का अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डी0जे0के0 शर्मा) 17/3/21

प्रमुख वन संरक्षक

कार्या0–अपर प्रमुख वन संरक्षक,

एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या : / FP/UK/ROAD/39349/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
2. महाप्रबन्ध, परियोजना, पी0आई0यू0, एन.एच.आई.डी.सी.एल., नन्दप्रयाग, चमोली।

(डी0जे0के0 शर्मा)

प्रमुख वन संरक्षक

कार्या0–अपर प्रमुख वन संरक्षक,

एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,